

## उपभोक्ता आयोग में शिकायत के बाद क्या होता है: सुनवाई, जवाब और मध्यस्थता

### यह कब काम आता है

- आपने आयोग में शिकायत की है या करने वाले हैं
- सुनवाई की तारीख मिली है और जानना चाहते हैं कि क्या होगा
- आपको मध्यस्थता का प्रस्ताव मिला है

### कदम-दर-कदम

#### 1. स्वीकार और नोटिस

आयोग शिकायत जाँचता है और स्वीकार होने पर दूसरे पक्ष को जवाब के लिए नोटिस भेजता है, आमतौर पर लगभग 30 दिन में (बढ़ाया जा सकता है)। e-Jagriti से केस नंबर रखें।

#### 2. जवाब और आपके सबूत

दूसरा पक्ष जवाब दाखिल करता है। आप सबूत, दस्तावेज़ और संक्षिप्त लिखित बहस दे सकते हैं। हर चीज़ की प्रति रखें।

#### 3. सुनवाईयाँ

सुनवाई आमने-सामने या वीडियो से हो सकती है। तारीखों पर जाएँ या वकील भेजें। तारीख छूटने से केस में देरी या नुकसान हो सकता है।

#### 4. मध्यस्थता या आदेश

दोनों पक्ष राजी हों तो आयोग मामला मध्यस्थता को भेज सकता है। नहीं तो वह आदेश देता है, जिसकी अपील तय समय में राज्य आयोग में हो सकती है।

### ज़रूरी बातें

- सुनवाई की तारीख न छोड़ें
- मध्यस्थता के लिए दोनों पक्षों की सहमति चाहिए
- आदेश की अपील कानून में बताई समय-सीमा में हो सकती है

**हेल्पलाइन: साइबर ठगी 1930 · उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 · महिलाएँ 181 · आपातकाल 112 · मुफ्त कानूनी सहायता 15100**

पूरा गाइड और मुफ्त एक्शन प्लान: [shikayat.co/hi/guides/consumer-commission-hearing-and-mediation](https://shikayat.co/hi/guides/consumer-commission-hearing-and-mediation) · अपडेट 2026-10

सामान्य जानकारी, कानूनी सलाह नहीं। Shikayat एक टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म है, लॉ फ़र्म नहीं।